फार्म - उन्तीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-48(1) देखें]

टैक्स डिडक्शन नंबर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी,

खण्ड / सर्किल----------

महोदय,

मैं----------पुत्र/पुत्री/पत्नी----------प्रास्थिति ---------- उ0प्र0 वैट अध्यादेश, 2007 की धारा-35 के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन नंबर के आवंटन हेतु आवेदन करता / करती हूँ। इस प्रयोजन हेतु व्यापार का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :

संविदी / खरीददार / सरकारी विभाग का नाम व पता																							
फोन नंबर, यदि कोई हो																							
टिन (यदि कोई हो)															प्रभावी तिथि	d	d	m	m	y	y	y	y

आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम																						
फोन नंबर, यदि कोई हो																						

आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी का नाम व पता																						
फोन नंबर, यदि कोई हो																						

कार्यालय / व्यापार का संघटन		
उ0प्र0 के अंदर व उ0प्र0 के बाहर स्थित शाखाएं	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	--	

पंजीयन फीस व विलंब फीस का विवरण, यदि कोई हो

क्र0सं0	विवरण	धनराशि	ट्रेजरी चालान नंबर	तिथि	बैंक की ब्रांच का नाम
1.	विलंब फीस				
2.	पंजीयन फीस				

कृपया मुझे टैक्स डिडक्शन नंबर आवंटित करने का कष्ट करें।

घोषणा

मैं ----------पुत्र / पुत्री / पत्नी ----------प्रास्थिति ----------, घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य है। उपरोक्त विवरण में कोई भी परिवर्तन होने पर मैं पंजीकरण प्राधिकारी / करनिर्धारण अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग को अविलंब सूचित करने का आश्वासन देता / देती हूँ।

तिथि- अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर*

स्थान- अधिकृत व्यक्ति का नाम व पदनाम

* यह प्रार्थना पत्र केवल उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जो उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) के अंतर्गत अधिकृत हो।

** यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी का परिवर्तन होता है तो उसके नाम व पते की सूचना करनिर्धारण अधिकारी को परिवर्तन के दिन से 30 दिन के अंदर देना अनिवार्य है।